

228

227 5000Rs.



2




लक्ष्मी देवी

भारत गवर्नर कोषागार, नया दिल्ली  
 भारत गवर्नर कोषागार, नया दिल्ली  
 46 I Pro (C)  
 भारत गवर्नर कोषागार, नया दिल्ली  
 इतिहास संख्या 1995 सी प्रतुषु  
 या 1 क संख्या 23 I A  
 अंशक संख्या 2200  
 लक्ष्मी देवी कोषागार, नया दिल्ली  
 कोषागार, नया दिल्ली

5/3/1

5-3-09



लक्ष्मी देवी 315 कृष्णा देवी  
 05703209

1. क्रेयका रिणी: - मनोमात लक्ष्मी देवी उर्फ कृष्णा देवी  
 पति स्व० रामकाजी शत्रिय, जाति - राजपूत, पेशा - गृहणी,  
 निवास ग्राम - सहेगा, थाना वी छिला - सिमडेगा ।  
 ... .. क्रेयिका ।  
 गाथ-पत्र संख्या: - 151/2009

पठान - सन्निहार काल  
 पिता स्व० उमेशलाल  
 ग्राम - रामडा  
 थाना - सिमडेगा  
 जिला - सिमडेगा  
 तारिख 03-09

05703709

Soldn. 88ctd-3-3-09

99/09



श्री आनंद प्रिन्टिंग प्रीस

बस स्टॉप रोड, गुरुदासपुरा  
ना. गावाडी, जि. अहमदाबाद  
विश्वविद्यालय, तनजा, चिनिवास रोड  
मालिक - के. के. के.  
कलकता - 8600

5000 x 1 = 5000

1500 x 3 = 3000

500 x 1 = 500

1000 x 1 = 1000

8600

05/03/09

श्रीकांतार विधि  
सिखरेण - दोकवाप



लक्ष्मी देवी उर्फ कृष्णा देवी

05703709

05-03-09

10 to 1

व्यक्ति के साथ पुस्तक  
अपराध के अन्तर्गत निरन्तर/कर्मस्थल  
आदिमान में लेखनीय या लेखनीय  
उक्त पुस्तक और अन्य  
शक्ति लेखनीय  
इत्यादि



श्री / श्रीमती लक्ष्मी देवी उर्फ कृष्णा देवी

पति/पति स्व. रामकाजी धनूमि

पता/पता स. ज. डगा

जिला/जिला सिविल

05/3/09

msy  
5-3-09



--2--

१२१ लेख्यधारी:- श्री अनन्त किशोर श्रीनाम्स्तव पिता स्व०  
उमेश चरण लाल, जाति-कायस्थ, पेशा-कृषि एवं व्यापार,  
निवास ग्राम-तामड़ा, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. प्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 152/2009

१३१ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक  
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

१४१ मूल्य:- मोबलिंग दो लाख पन्द्रह हजार रुपये अंके 2, 15, 000/-  
रुपये होता है ।

१५१ सम्पत्ति:- एराजियात अन्दर मौजा-सबडेगा खास  
थाना नं० 117, थाना-सिमडेगा, सबडिविजन तो जिला  
अतर निबंधन कार्यालय सिमडेगा तो जिला-सिमडेगा का  
खाता नं० 108 एक सौ आठौं प्लॉट नं० 656 अंके सौ  
छानौं रकबा 15 डिस्मिल में से 03 डिस्मिल अतीन डिस्मिल  
एवं इनमें निर्मित ईट चदरा का मकान 18 फीट x 25 फीट  
अंके 450 वर्ग फूट दो तरफ घेरा 4 फीट उंचा 65 फीट लम्बा ।  
जमीन का मूल्य 70, 000/- रुपये मकान का मूल्य 1, 35, 000/-  
रुपये, घेरा का मूल्य 10, 000/- रुपये, कुल मूल्य 2, 15, 000/-  
दो लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र मात्तौ मालगुजारी मोबलिंग 5  
पैसा अंके पाँच पैसा अलावे सेस सलाना ।

सधनी देवी उम कुमारी देवी  
05/03/09

219-2072 दिनांक 21  
पुनः की दिनांक 21 दिनांक 21  
पुनः 2009 मास 04/24  
दिनांक 14/03/09 मास 04/24  
पुनः 05/03/09



--3--

जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- इसी प्लॉट का अंश निज लिफ्टा का घर बारी,

दक्षिण :- इसी प्लॉट का अंश गांधी मैदान,

पूरब :- गांधी मैदान सरकारी भूमि के बाद पी. सी. सी. पथ

पश्चिम :- थाना हाता ।

१। चूंकि मूल लेखकारिणी को पत्नी की शादी एवं अन्य तीगर फौल खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वरैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेखधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

२। इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पॉंच में वर्णित जमीन को उपयुक्त लेखधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेची और बेची गई जमीन का कुल हक वखल वी अधिकार उक्त लेखधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ तदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारिणी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

३। मैं प्रतिभा करती हूँ कि विक्री की जानेवाली जमीन को मैंने भूपूर्व जमीन्दार श्रीमती लातन्य कुमारी देवी से वजरिये सादा

लातन्य देवी 35 कृष्णा देवी  
05703709

शुभरा शर्मा  
पिता - श्याम शर्मा शर्मा  
ग्राम - शलडांग शाने रोला  
थाना - जिला - शिवसागर  
दिनांक - 5/09/2009



-4-

हस्ताक्षर मा दिनांक 20.04.1949 ई0 के द्वारा हासिल की हुई 1  
 सौ मकान बनाकर तपस्वियार रखी हुई । और अंजल अधिकारी  
 मिमडेगा के कार्यालय ने दाखिल खारिज ताद संख्या 27 आर  
 27/1989-89 ई0 के द्वारा मेरे नीज नाम से सरकारी माल्कान्दारी  
 रसीद हासिल करती हुई । किराईत जमीन पर किसी प्रकार का  
 कोठं मर मुकदमा या श्रण नहीं है और न ही किसी प्रकार का  
 कोठं लगाना संलट ही है । किसी दूसरों को इन जमीन से कोठं  
 न करेकार नहीं है ।

14। इस वास्तिव कि लेखधारि अपनी जमीन पर कासिल गो  
 लखकार होकर अपना पैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लाने  
 तो परकार सरकार वजरिसे अंजल अधिकारी, मिमडेगा के कार्यालय  
 ने अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से त अंजल  
 माल्कान्दारी के रसीद खान नाम से कासिल किया करें ।

15। इसलिख यह लिख पत्र देनाला पैला क्लामी सत्ता दिन के  
 लिख लिख दिया कि प्रमाण रहे तो तका करत पर काम आने ।

लक्ष्मीदेवी उर्फ कृष्णा देवी  
 05703709




--5--

मैं लेखकारिणी यह घोषणा करती हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिर्लिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

लक्ष्मी देवी उर्फ कृष्णा देवी

05/03/09




प्रमाणित किया जाता है कि लक्ष्मी देवी उर्फ कृष्णा देवी के बचते वाले का जमीनें हांगुलिये का बाज में समेत लिखत जाता है।  
Md. J. Advocate  
05/03/09

लक्ष्मी देवी उर्फ कृष्णा देवी  
05/03/09

मैं लेखपारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाट कुल धारित जमीन सिर्लिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

अनंत किशोर शीवाहन

5.3.09



प्रमाणित किया जाता है कि अनंत शीवाहन के बचते वाले का जमीनें हांगुलिये का बाज में समेत लिखत जाता है।  
Md. J. Advocate  
05/03/09



-6-

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना तो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *M. J. Advocate*  
 05/03/09  
 प्रारूपक तर्फ  
 तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल शब्दों में कुल 572 शब्द टंकित हैं जो खट्टन रहित तो नक्सा सहित है ।


टंकक  
*M. J. Advocate*  
 5-3-09

मो० मयराट  
 कानूनी परिसर,  
 त्रिमहेगा ।

लाध श्री देवी उर्फ काशी देवी  
 05/03/09

762

50 Rs.



भारत का संविधान एवं आह्वानांक  
 भारतकारी प्रमाणपत्र 1908 की धार  
 के अधीन  
 भा.रा.वि. स्टाफ् एपिनियम  
 एडिशन नं. 1899 की अंतर्गत  
 भा. 1 क संख्या **5-51-A**  
 राजन यथावत स्थाप  
 र्दिन (या स्टाफ् अंक स विम त  
 स्थाप अंक अर्पित नही।

11-8-09

11/8/9



लक्ष्मी देवी उर्फ कृष्णा देवी

11-8-09

§ 18 लेखकारिणी :- मतोमात लक्ष्मी देवी उर्फ कृष्णा देवी  
 पति स्व० रामकाजी क्षत्रिय, जाति-राजसूत, पेशा-गृहिणी,  
 निवात ग्राम- तलडेगा, थाना वो जिला- सिमडेगा ।

... .. क्वेटिका ।

समय-पत्र संख्या :- 151 / 2009

1/10/09 ले।ल  
 1/10/09 ले।ल  
 1/10/09  
 1/10/09  
 1/10/09

11-08-09



§2§ लेख्यधारी:- श्री अनन्त विक्रोर श्रीधामस्तव पिता स्व०  
ओश वरण लाल, जाति- कायस्थ, पेशा- कृषि एवं व्यापार,  
निवात ग्राम- तामड़ा, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ।  
.. भारतीय नागरिक .. क्षेत्रा ।

शपथ-पत्र संख्या:- 152/2009

§3§ लेख्यप्रकार:- सुधार पददा बावत निबंधित विक्रय पत्र  
संख्या 228/227 दिनांक 05.03.09 के ।

§4§ मूल्य:- मोबलिंग दो लाख पन्द्रह हजार रुपये अंके 2, 15, 000/-  
रुपये होता है ।

§5§ तस्मति:- सराजियात अन्दर मौजा- तलडेगा छास, थाना  
नं० 117, थाना- सिमडेगा सबडिविजन वो जिला अवर निबंधित  
कार्यालय सिमडेगा वो जिला- सिमडेगा का छाता नं० 108 एक  
सौ आठ प्लॉट नं० 656 एक सौ छपन रकबा 15 हिसमिल में  
ते 03 हिसमिल तीन हिसमिल एवं इसमें निर्मित ईट चदरा का  
मकान 18 फीट x 25 फीट 450 वर्ग फूट दो तरफ घेरा 4 फीट  
उंचा 65 फीट लम्बा । जमीन का मूल्य 70, 000/- रुपये, मकान  
का मूल्य 1, 35, 000/- रुपये, घेरा का मूल्य 10, 000/- रुपये,  
कुल मूल्य 2, 15, 000/- दो लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र मालगुजारी  
मोबलिंग 5 पैसा पाँच पैसा अलावे सेत तलाना ।

जितकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश निज विक्रेता का घरबारी,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश गांधी मैदान,

पूरब :- गांधी मैदान तरकारी भूमि के बाद पी. सी. सी. पथ,

पश्चिम:- थाना हाता ।

हाददी देवी उर्फ कृष्णा देवी

अधिकारी  
मो. सी. डि. 2  
2009  
मो. सी. डि. 2

§1§ चूंकि एक बिता जमीन का रजिस्ट्री विक्रय पत्र जिसका क्रम संख्या 228 एवं दस्तावेज संख्या 227 दिनांक 05-03-09 के द्वारा हुआ था। लेकिन दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 4 में लिपिकीय भूलवश दाखिल खारिज वाद संख्या 27 आर 27/1988-89 लिखा गया जो गलत है इसका सही दाखिल खारिज वाद संख्या 27 आर 27/1998-99 है।

§2§ इसलिए मैं अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 4 में दाखिल खारिज वाद संख्या 27 आर 27/1988-89 के स्थान पर दाखिल खारिज वाद संख्या 27 आर 27/1998-99 सुधार कर रही हूँ।

§3§ इसलिए यह सुधारनामा पदटा लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त करत पर काम आवे।

सखी देवी डी कृष्णा देवी

सही/- लक्ष्मी देवी उर्फ वृषा देवी

लेखकारिणी

11.8.09



प्रमाणित किन्तु जात्य ह कि लक्ष्मी देवी  
उर्फ वृषा देवी के पति राजू देवी  
पौच्ये अंगुलिया के बाय के सभद  
लिप्य रास।

Suresh Kumar


AMV  
11/8/09

लक्ष्मी देवी उर्फ वृषा देवी  
11.8.09

सही/- अनन्त विश्वेश शीवास्त्रव

लेखधारी

11.8.09



प्रमाणित किन्तु जात्य ह कि अनन्त विश्वेश  
शीवास्त्रव के पति राजू देवी  
अंगुलिया के बाय के सभद लिप्य  
रास।

Suresh Kumar  
AMV

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस सुधार पदटा दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो सम्झा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *Suresh Prasad*  
Adv

प्रारूपकर्ता 11/8/09

तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस सुधार पदटा दस्तावेज के कुल पाँच पृष्ठों में कुल 432 शब्द टंकित हैं जो छपहन रहित वो नक्सा रहित है ।

टंकक  
मो० शम्भू  
11-8-2009

मो० मकसुद  
कचहरी परिसर,  
तिमडेगा ।

लक्ष्मी देवी उष कृष्णा देवी



# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 53d3ac0ad21872c0d976

Receipt Date : 26-May-2022 12:07:55 pm

Receipt Amount : 10/-

Amount In Words : Ten Rupees Only

Document Type : Partition

District Name : Simdega

Stamp Duty Paid By : SHRIKANT SHRIWASTAVA

Purpose of stamp duty paid : PARTITION

First Party Name : SHRIKANT SHRIWASTAVA


Second Party Name : ANANT KISHOR SHRIWASTAVA

GRN Number : 2211392697

no 62423

26/5/2022

This stamp paper can be verified on the official website through receipt number




Shri Kant Shrivastava

अनंत केशव शिवरतन श्रीवास्तव



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



सुखनामा तसु बट्यारानामा

=====

॥१॥ प्रथम पक्ष :- श्री अनन्त बिशौर श्रीवास्तव, पिता स्व. उमेश  
परण ताल, निवात ग्राम+पोस्ट- ताम्हा,  
धाना व चित्ता-सिमडेगा, झारखण्ड, हाल मौजाम-  
सिमडेगा डिप्टी टोली, पोस्ट+धाना+चित्ता-सिमडेगा,

॥२॥ द्वितीय पक्ष :- श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव, पिता श्री अनन्त बिशौर  
श्रीवास्तव, निवात ग्राम+पोस्ट- ताम्हा, धाना व  
चित्ता-सिमडेगा, झारखण्ड, हाल मौजाम- गांधी मैदान  
सिमडेगा, धाना व चित्ता-सिमडेगा।

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष पिता-पुत्र हैं तथा आपस  
में मेल प्रेम से रहे तथा आपसी सम्पत्ति का बट्यारा निम्न  
शुद्ध से करते हैं-

॥१॥ यद्यकि, प्रथम पक्ष श्री अनन्त बिशौर श्रीवास्तव के द्वारा  
एक जमीन मौजा-सल्लेगा, छाता नं. 108, प्लॉट नं. 656, कुल रकबा  
0.03 एकड़, तीन हीसामत, धारीदगी जमीन है जो बट्या बना हुआ है।  
पिता श्रीकान्त श्रीवास्तव को दिया जाता है और उक्त जमीन अब  
श्रीकान्त श्रीवास्तव के द्वारा उपयोग किया जासगा वे धार मकान,  
दुकान बना कर रहें इसपर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और  
यह जमीन पूर्ण रूप से श्रीकान्त श्रीवास्तव के नाम से रहेगा।



§2§ यहकि, प्रथम पक्ष के द्वारा मौजा-गौतराहिप्टी टोली, धाना-सिमडेगा, धाना नं-80, जिता-सिमडेगा के धाता संख्या-50, प्लॉट नं-82 3478, कुल रकबा 0.01 1/2 एकड़ 1/2 डीसीमल जमीन जिसमें दो तला मकान बना हुआ है जिसका उपयोग श्री अनन्त किशोर श्रीवास्तव करेंगे और जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर लें जिसमें द्वितीयपक्ष को कोई आपत्त नहीं होगी।

§3§ यहकि, यह समझौता लिखा दिये कि काम आये और बिजली बिल, पानी बिल, होटलिंग बिल स्वेच्छा से करवा लें।

यह सुलहनामा सह बटपारानामा बना दिया ताकि प्रमाण रहे दो पक्ष जूरत पर काम आये।

गवाह

=====

§1§ Gulwariya Tewari

§2§ Rashmi Kumari

सही/- *अनन्त किशोर श्रीवास्तव*

§प्रथम पक्ष§

सही/- *Shrikant Shrivastava*

